

कार्यालय:-जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 3140

दिनांक:- 3/08/23

सार्वजनिक नीलामी की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इस कार्यालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त नकारा/अनुपयोगी फर्नीचर, विधुत उपकरण, तकनीकी उपकरण इत्यादि सामान की नीलामी "जहाँ भी, जैसी भी स्थिति में है" के आधार पर दिनांक 24.08.2023 को अपराहन 1:30 बजे इस कार्यालय में नीलामी समिति के द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों के आधार पर की जावेगी। जो किसी भी कार्य दिवस को इस कार्यालय में देखी एवं पढ़ी जा सकती है। नीलामी सूचना एवं नियम व शर्तें जिला एवं सेशन न्यायालय की वेबसाईज dc-jaip-ri@nic.in पर तथा राज्य सरकार की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देखी एवं पढ़ी जा सकती है।

NIB-MET 2324A 0005

UBN-MET 2324 G L L E 0005

अध्यक्ष
03.08.2023

नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक:- 3140

दिनांक:- 3/08/23

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर प्रथम।
- 2 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर द्वितीय।
- 3 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर जिला जयपुर।
- 4 श्रीमान् प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा/भण्डार शाखा जयपुर महानगर प्रथम।
- 5 श्रीमान् जिला कलैक्टर, जयपुर।
- 6 श्रीमान् आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
- 7 श्रीमान् आयुक्त जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज/ग्रेटर जयपुर।
- 8 श्रीमान् थानाधिकारी पुलिस थाना बनीपार्क/कोतवाली जयपुर।
- 9 सिस्टम ऑफिसर को इस आशय से प्रेषित कर लेख है कि जिला न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम व राज्य सरकार संबंधित की वेबसाईट तथा अन्य कार्यालयों की ई-मेल आई.डी. पर नीलामी सूचना अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय जयपुर महानगर प्रथम/द्वितीय/जयपुर जिला/कार्यालय जिला कलैक्टर जयपुर।
- 11 रक्षित पत्रावली।

अध्यक्ष
02.08.2023


नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम

सार्वजनिक नीलामी हेतु नियम एवं शर्तें:-

1. नीलामी खुली बोली द्वारा बोलीदाताओं की उपस्थिति में होगी।
2. नीलामी योग्य माल का सरकारी बोली नीलामी स्थल पर नीलामी के समय ही बतायी जायेगी।
3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म धरोहर राशि रूपये के रूप में रूपये 5000/- नीलामी स्थल पर नकद जमा करवाकर तथा अपना एक पहचान पत्र प्रस्तुत कर नीलामी में भाग ले सकते हैं।
4. नीलामी समाप्ति के पश्चात् नीलामी में सफल बोलीदाता को छोड़कर सभी असफल बोलीदाताओं को उनकी धरोहर राशि नीलामी स्थल पर ही वापस लौटा दी जावेगी।
5. सफल बोलीदाता को सम्पूर्ण माल की सुदुर्दगी उपरान्त उसकी अमानत राशि लौटा दी जायेगी।
6. नीलामी प्रक्रिया के दौरान अमानत/बोली राशि नहीं लौटाई जायेगी।
7. अधिकतम बोलीदाता जिसके नाम बोली छोड़ी जाती है, से कुल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि उसी समय तथा शेष राशि माल सुपुर्दगी के समय ली जावेगी। उक्त राशि में अमानत राशि का समायोजन नहीं किया जायेगा।
8. नीलामीशुदा माल अधिकतम बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्च पर ले जाना होगा।
9. नीलामीशुदा माल अन्तिम बोली पर विभागाध्यक्ष के अनुमोदन/अनुमति के पश्चात् सुपुर्द किया जावेगा।
10. सफल बोलीदाता को नीलामीशुदा सम्पूर्ण माल सभी करों का भुगतान करने पर नीलामी के एक सप्ताह के अन्दर प्राप्त करके ले जाना होगा। तत्पश्चात् समुचित स्थान की साफ-सफाई सफल बोलीदाता को अपने स्वयं के व्यय पर करवानी होगी।
11. सफल बोलीदाता नीलामीशुदा किसी भी प्रकार का सामान नीलामी स्थल पर नहीं छोड़ेगा।
12. निर्धारित अवधि में नीलामीशुदा माल नहीं उठाने पर 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त कर ली जावेगी।
13. नकारा/अनुपयोगी सामान का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान किया जा सकता है। बाद में सामान के संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं है।
14. नीलामी के संबंध में सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित होगा तथा इसके लिए कारण बताना अनिवार्य नहीं होगा।
15. नीलामी समिति को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये नीलामी कार्यवाही को किसी भी समय निरस्त/स्थगित किया जा सकता है।
16. अद्योहस्ताक्षरकर्ता को किन्हीं अपरिहार्य कारणों से नीलामी की तिथि में बदलाव या नीलामी निरस्त करने का अधिकार होगा।
17. अनुपयोगी सामान " जहाँ है, जैसी स्थिति में है" के आधार पर नीलामी की जावेगी तथा इसी आधार पर सफल बोलीदाता को स्वयं के व्यय पर ले जाना होगा।

18. नीलामी में भाग लेकर एवं उच्चतम बोली लगाने के पश्चात् नीलामीशुदा माल नहीं उठाने तथा राशि व कर जमा नहीं करवाने पर सफल बोलीदाता के विरुद्ध नीलामी समिति सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में कानूनी कार्यवाही करेगी तथा सफल बोलीदाता का नाम काली सूची में दर्ज करेगी व अमानत राशि को जब्त करने का अधिकार होगा ।

अध्यक्ष

 03-08-2023

नकारा/अनुपयोगी सामान निस्तारण समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर महानगर प्रथम